**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**संकल्प**

**विषयः— उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत "आद्री" के प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "उच्च स्तरीय समिति" गठित करने के संबंध में।**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 314 दिनांक 31.01.2011 द्वारा राज्य की उच्च जातियों में शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सम्यक् विकास हेतु "उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया गया है।

2. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य की उच्च जातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण एशियन डेवलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टीच्यूट (आद्री) से कराया गया है। "आद्री" से प्राप्त प्रतिवेदन को आयोग द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है तथा अपनी अनुशंसा आयोग के ज्ञापांक 196 दिनांक 17.04.2015 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी गयी है। आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च जातियों के लिए छात्र-वृत्ति योजना तथा मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंसा की गयी है। आयोग द्वारा की गयी उक्त अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की संकल्प संख्या 6267 दिनांक 28.04.2015 निर्गत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त संकल्प के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा स्वीकृत "आद्री" के प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर सभी संबंधित विभागों से विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "उच्च स्तरीय समिति" का गठन किया जायेगा।

3. राज्य सरकार सम्यक् विचारोपरांत एतद् द्वारा, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा स्वीकृत "आद्री" के प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को मिलाकर तुरत के प्रभाव से एक "उच्च स्तरीय समिति" का गठन करती है :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | मुख्य सचिव, बिहार | — अध्यक्ष |
| (ii) | प्रधान सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| (iii) | प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग | — सदस्य |
| (iv) | प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग | — सदस्य |
| (v) | प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग | — सदस्य |
| (vi) | प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | — सदस्य |
| (vii) | सचिव, समाज कल्याण विभाग | — सदस्य |
| (viii) | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | — सदस्य — सचिव |

4. समिति उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत "आद्री" के प्रतिवेदन की अन्य अनुशंसाओं पर विचार करते हुए राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक आदि क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी तथा उसे यथा शीघ्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**आदेश :–** अतः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
**(केशव कुमार सिंह)**
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 21/उ०जा०रा०आ०-03-13/2014, सा०प्र०...../पटना.15, दिनांक.....

**प्रतिलिपिः**–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

7662
ज्ञापांकः– 21/उ०जा०रा०आ०-03-13/2014, सा०प्र०...../पटना.15, दिनांक 26-5-15

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, बिहार पटना/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटनाा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2015
सरकार के अपर सचिव।